कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

–: आदेश :–

(दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

क्रमांक / **13231** / न्या.लि. / 2020 रायगढ़, दिनांक 19 / 09 / 2020

कोरोना वायरस (COVID-19) एक संकामक बीमारी है, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह निर्देश है कि COVID-19 से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क से दूर रहें तथा ऐसे व्यक्ति जो संक्रमित है या संक्रमित होने की शंका है उन्हें संगरोध में रखा जावे।

रायगढ़ जिले में इस बीमारी के फैलने या संक्रमण होने की संभावना है। रायगढ़ जिले के सीमाओं से लगे हुए अन्य जिलों में यह बीमारी संक्रामक है। रायगढ़ जिला खनन क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ–साथ जिले की सीमा अन्य प्रदेशों से जुड़े होने के कारण जिले में लगातार आवागमन एवं परिवहन होता है। तत्संबंध में राज्य शासन एवं जिला स्तर से उक्त संक्रमण के रोकथाम, नियंत्रण तथा निर्मित विकट स्थिति से निपटने के संबंध में आदेश, दिशा–निर्देश एवं एडवायजरी जारी किये गये हैं। इसी तारतम्य में केन्द्र शासन द्वारा कोविड–19 को महामारी घोषित किया गया है। छ0ग0 शासन, गृह (सी–अनुभाग) विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ–4–59 / गृह–सी / 2020, दिनांक 17–05–2020 के अनुक्रम में कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **मैं भीम सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला–रायगढ़** यह आदेशित करता हूं कि :–

1– यदि कोई व्यक्ति को लेकर पर्याप्त कारण, जानकारी या आवश्यकता है यह मानने के लिए कि वह (COVID-19) से संक्रमित है या वह किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है जो (COVID-19) से संक्रमित हो सकता है या है, यह अनिवार्य होगा कि ऐसा व्यक्ति तुरंत सहयोग करके सारी जानकारी घोषित करेगा एवं सभी संभावित सहयोग निगरानी दल को देगा एवं उनके द्वारा दिये गये निर्देश (मौखिक या लिखित) जो कि निगरानी जांच निरीक्षण, भौतिक परीक्षण Quarantine संगरोध और इलाज से संबंधित है और ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आये हुए अन्य व्यक्ति पर भी लागू होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निवारण या इलाज के इन उपयोग या सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से मना करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो वह दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 की अवहेलना करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा 270 के तहत दण्ड का भागी होगा।

2– ऐसे जगहों के सभी मालिक / प्रबंधक / निवासरत सभी व्यक्तियों पर यह बाध्यता होगी कि वे ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आये जिनसे कोविड–19 से संक्रमित होने की आशंका है या कोविड–19 से संक्रमित देशों एवं अन्य राज्यों से आये है इस हेतु राज्य शासन द्वारा जारी दूरभाष टोल फ्री नं. 104 से संपर्क करके जिला चिकित्सालय एवं रेल्वे स्टेशन रायगढ़ में हेल्प डेस्क को इसके बारे में जानकारी देंगे और वे बाध्य होंगे कि वे तुरंत सहयोग देकर ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए अप्रतिबंधित और आवश्यक सारी जानकारी का खुलासा करेंगे और सहायता देंगे जो निर्धारित स्वास्थ्य दल, जांच दल को अपना कार्य करने के लिए आवश्यक होगा। इन दलों के द्वारा दिये गये निर्देशों (लिखित या मौखिक) का पालन करेंगे जो निगरानी जांच / भौतिक परीक्षण संगरोध और इलाज के लिए आवश्यक होगा। ऐसे किसी "परिसर" के अस्थायी बंद, सीलिंग, खाली करना, धुमन / सेनेटाईजेशन, सफाई इत्यादि के लिए दिये गये आदेशों का पालन करेंगे एवं सहयोग प्रदान करेंगे। यदि उपरोक्त में से किसी का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा 270 के तहत दण्ड का भागी होगा।

3– इस धारा के प्रभावशील रहते तक जिला रायगढ़ में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियत्रंण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल कार्यक्रम, अवांछित विचरण सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक तथा अन्य आयोजन, क्लब हाउस एसोसिएशन बिल्डिंग आदि को जिला दण्डाधिकारी के बिना अनुमति के प्रतिबंधित किया जाता है।

Scanned with CamScanner

यह आदेशित किया जाता है कि अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी को आदेश के तहत आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यकतानुसार मेरे आदेश के पालन करवाने के लिए अधिकृत किया जाता है। यदि उक्त आदेश का किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश रायगढ़ जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के साथ–साथ संपूर्ण जिले में तत्काल प्रभावशील होगा जो 19 अक्टूबर,2020 तक या आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 19–09–2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(भीम सिंह)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ0क्रमांक / **13231–ए** / न्या.लि. / 2020 रायगढ़, दिनांक 19 / 09 / 2020

प्रतिलिपि:–

1. अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
2. सचिव, छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
3. सचिव, छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर
4. सचिव, छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
5. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर
6. महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर
   ––की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
7. पुलिस अधीक्षक,रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया सभी अधीनस्थ अधिकारियों तथा थाना प्रभारियों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
8. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़
10. सर्व विभाग / कार्यालय प्रमुख जिला रायगढ़
11. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायगढ़ जिला
12. आयुक्त नगर पालिक निगम, रायगढ़
13. समस्त तहसीलदार / नायब तहसीलदार / कार्यपालिक दण्डाधिकारी, रायगढ़ जिला
14. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत जिला रायगढ़
    ––की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हुेत अग्रेषित।
15. उप संचालक जनसम्पर्क, जिला रायगढ़ की ओर समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराये जाने हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

19/09

Scanned with CamScanner